

अंचल अधिकारी का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या-

4D/16-17

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०निति-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्राप्त की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- 5181 थाना- 402 खाता संख्या- 2 प्लॉट संख्या- 215/2
रकबा- 1.20 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- के पृष्ठ संख्या- 55/4 पर जमाबंदी रैयत के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 7/09/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- सुभाष-यादव, 510 पट्टेकर-
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :- यादव, साठ-डुमरी

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
डुमरी	402	2	215 2	1.20

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या..... पृष्ठ सं०-~~534~~ पर कायम है - 4
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 2002-03
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- 'गैरमजबूत' मालिक
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- ~~डा. 00/00/00~~
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित हैं तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- 00/00/00
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती - 9/09/2002-03)
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	4963822	31.5.012	2012-13
2	115315	9/8/014	2014-15

23/10/06
हरम-12

23/10/06
हरम-12

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कारवाई के बारे में
टिप्पणी, तारीख
सहित
3

अभिधौल-उपस्थापित किया गया।
प्रतिकावी-पथ-अनुपस्थित।
अतः पुनः द्वितीय-जोली
निमित्त के, जिस की तिथि 21/10/04
कर रहे।



अभिप्रेत प्रस्तावित। यह मामला वर्ष 2016 के संबंधित है, मजदूर प्रत्यक्ष मालिकों की बैठक में विवाद दिया गया है कि इन विवादों में यह अधिकार है। मजदूर सभी मामलों में निरीक्षण के जोड़े दिए गए हैं कि आपके हाथों के संबंधित संबंधित मामलों के संबंध में विवादों में निरीक्षण संबंधित है कि मामला संवैधानिक मामलों का बना है अथवा नहीं।

21.03.22
अध्यक्ष अधिकारी
मजदूर प्रत्यक्ष

21.03.2022

अभिप्रेत प्रस्तावित। यह सं. 11 के मजदूरों में निरीक्षण के लिए संबंधित प्रदान किया गया है जो साथ में संलग्न है इनके लिए संबंधित प्रदान किया गया है कि बादगत अधिक के संबंधित मामलों में बद बदले का मामला प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष के विवादों में सं. 13/2021-22 संवैधानिक मुद्दों को प्रत्यक्ष बदले में बदले को के रूप के मामला बना रहा है जिस संबंध में इस प्रस्ताव में मजदूरों के संबंधित प्रदान किया है जब मामला प्रतीक प्रमाणों में संबंधित है तो इस स्तर के इस प्राद की कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

अतः मजदूरों में निरीक्षण के संबंध प्रदान के स्तर है कि मामला प्रतीक प्रमाणों में संबंधित है इस स्तर के इस प्राद की कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

21.03.22
अध्यक्ष अधिकारी
मजदूर प्रत्यक्ष

21.03.22
अध्यक्ष अधिकारी
मजदूर प्रत्यक्ष